न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 46/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक : 04.12.2023
अन्तर्गत धारा : अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. जानकीलाल पुत्र श्री बृजमोहन जाति बैरवा
2. मुकेश पुत्र बृजमोहन जाति बैरवा
3. सुरजा बाई बेवा बृजमोहन जाति बैरवा
4. फोरन्ता बाई पुत्री बृजमोहन जाति बैरवा

निवासीगण – ग्राम बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां–राज०

....अपीलांट्स

बनाम

1. मोडूलाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तह० मांगरोल जिला बारां–राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मांगरोल जिला बारां–राज०

....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना, अभिभाषक –अपीलांट
श्री एम0 एम0 केसरी, अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1

:: निर्णय ::

दिनांक 17.03.2025

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 35/2012 बउनवान मोडूलाल बनाम जानकीलाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2023 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे अपील पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र.1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 17 राज0 उपनिवेशन (भूमि आवंटन चंबल परियोजना) अधिनियम 1957 में पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/2010 दर्ज कर निर्णय दिनांक 22.03.2011 से रेस्पो0 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी बृजमोहन पुत्र तेजमल बैरवा निवासी मउ को किया गया आवंटन दिनांक 17.11.88 ग्राम बालापुरा खसरा नंबर 285 रकबा 8 बीघा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज किया जाकर वक्त आवंटन उक्त भूमि पात्र व्यक्ति को नियमानुसार आवंटन की जावे। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2011 से अप्रसन्न होकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां अपील पेश की गई। न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 99/2011 पर दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 19.12.2011 से अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2011 निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि निर्णय दिनांक 19.12.2011 के पैरा संख्या 8, 9 व 10 में किये गये विवेचन के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदियों के आधार पर अपीलांट का उनके पिता की आराजी में नोशनल शेयर निकाला जाकर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि वक्त आवंटन वो भूमिहीन की श्रेणी में आते थें अथवा नहीं। साथ ही आवंटन के तुरन्त बाद की खसरा गिरदावरियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जावे कि आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना की है अथवा नहीं। तदुपरान्त नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

2. न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 19.12.2011 से प्रतिप्रेषित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा प्रकरण संख्या 35/2012 दर्ज किये जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना करना साबित नही होने से आवंटी का आवंटन ग्राम बालापुरा गत खसरा नंबर 285 से कायम हाल खसरा नंबर 436/820 का आवंटन दिनांक 17.11.88 आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 03.02.2023 पारित किया गया।

3. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 35/2012 बउनवान मोडूलाल बनाम जानकीलाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2023 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर कथन किया कि रेस्पो० नम्बर 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (भूमि आवंटन चम्बल परियोजना) अधिनियम 1957 के तहत पेश किया गया था कि आवंटी बृजमोहन पुत्र तेजमल बैरवा को किया गया आवंटन दिनांक 17.11..88 ग्राम बालापुरा खसरा नम्बर 285 का रकबा 8 बीघा को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को नियमानुसार पात्र व्यक्ति को आवंटन की जावे तथा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.03.2011 को स्वीकार कर लिया गया था तथा इसके विरूद्ध अपीलांट्स के द्वारा एक अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की गई, जिसका का निर्णय दिनांक 19.12.2011 को आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला. कलेक्टर बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया गया कि पैरा सं. 8, 9 व 10 में किये गये विवेचन के आधार पर जमाबंदियों के आधार पर अपीलांटा उनके पिता की आराजी में नोशनल शेयर निकाला जाकर यह निष्कर्ष निकाला जाये कि वक्त आवंटन भूमिहीन की श्रेणी में आते थे अथवा नही तथा साथ ही आवंटन के तुरन्त बाद ही खसरा गिरदावरियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जावे कि आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना की है या नही तदोपरान्त विधि सम्मत नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे तथा इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनः प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया, उसके पश्चात् दिनांक 03.02.2023 को पुनः निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.02.2023 विधि विरूद्ध एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण सर्वथा निरस्तनीय है। अपीलांट के पति व पिता को ग्राम बालापुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 17.11.1988 को किया गया था तब से ही अपीलांट का उक्त भूमि पर बदस्तूर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन को करीबन 30–32 वर्षो से भी अधिक का समय हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट उक्त आराजी पर ऑपरेशन ऑफ बायलो स्वतः ही खातेदार कृषक हो चुके है, इसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट का नेशनल शेयर मान लिया गया लेकिन उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही माना, जबकि वास्तविकता यह है कि सम्मत 2057 से 2059 में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण फसल नही हो पायी एवं उसके पश्चात् तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ही अपीलांट का कब्जा काश्त साबित है। उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर अपना ध्यान आकर्षित नही किया और अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया, जो कि त्रुटि पूर्ण है। अपीलांट के द्वारा कुछ किश्ते तो जमा करवायी गयी तथा बकाया राशि 2400/– रूपये जमा नही की गई तथा उक्त किश्त को भी अपीलांट जमा कराने पर तत्पर है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी पूर्व में नही थी और न ही अपीलांट्स के अधिवक्ता के द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी दी गई तथा अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 03.07.2023 को अपने अधिवक्ता के पास जाने पर उक्त प्रार्थना–पत्र का निर्णय दिनांक 03.02.2023 को होने की जानकारी प्राप्त हुई। उसके पश्चात् अपीलांट के द्वारा नकल का आवेदन दिनांक 03.07.2023 को किया गया जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 21.07.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को डिले कन्डोन किया जाकर उक्त अपील अवधि मध्य स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 03.02.2023 निरस्त फरमाया जावे।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पति व पिता को ग्राम बालापुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 17.11.1988 को किया गया था तब से ही अपीलांट का उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन को करीबन 30–32 वर्षो से भी अधिक का समय हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट उक्त आराजी पर स्वतः ही खातेदार कृषक हो चुके है, इसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट का नेशनल शेयर मान लिया गया लेकिन उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही माना, जबकि वास्तविकता यह है कि सम्मत 2057 से 2059 में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण फसल नही हो पायी एवं उसके पश्चात् तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ही अपीलांट का कब्जा काश्त साबित है। उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर अपना ध्यान आकर्षित नही किया और अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया, जो कि त्रुटि पूर्ण है। अपीलांट के द्वारा कुछ किश्ते तो जमा करवायी गयी तथा बकाया राशि 2400/– रूपये जमा नही की गई तथा उक्त किश्त को भी अपीलांट जमा कराने पर तत्पर है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 03.02.2023 निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6. रेस्पो0 अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि रेस्पो0 क्र.1 द्वारा दौराने सेटलमेन्ट स्वंय के खाते की आराजी का रेकार्ड में रकबा कम होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही पेश की हुई है जो विचाराधीन है। ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नंबर 285 रकबा 8 बीघा बृजमोहन पुत्र तेजमल बैरवा निवासी मउ को दिनांक 17.11.88 को कीमतन आवंटन की गयी थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की तथा कीमत आवंटन राशि जमा नहीं करवाई गयी। आवंटी ने अभी तक भूमि पर कब्जा भी प्राप्त नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना करना साबित नहीं होने से आवंटी का ग्राम बालापुरा गत खसरा नंबर 285 से कायम हाल खसरा नंबर 436/820 का आवंटन दिनांक 17.11.88 निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए गए है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

7. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर न्यायहित में अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

8. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र.1 की ओर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 17 राज0 उपनिवेशन (भूमि आवंटन चंबल परियोजना) अधिनियम 1957 में पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/2010 दर्ज कर निर्णय दिनांक 22.03.2011 से रेस्पो0 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी बृजमोहन पुत्र तेजमल बैरवा निवासी मउ को किया गया आवंटन दिनांक 17.11.88 ग्राम बालापुरा खसरा नंबर 285 रकबा 8 बीघा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज किया जाकर वक्त आवंटन उक्त भूमि पात्र व्यक्ति को नियमानुसार आवंटन की जावे। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2021 से अप्रसन्न होकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की गई। न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 99/2011 पर दर्ज किया ज़ाकर निर्णय दिनांक 19.12.2011 से अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2011 निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि निर्णय दिनांक 19.12.2011 के पैरा संख्या 8, 9 व 10 में किये गये विवेचन के आधार पर प्रस्तुत जमांबदियों के आधार पर अपीलांट का उनके पिता की आराजी में नोशनल शेयर निकाला जाकर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि वक्त आवंटन वो भूमिहीन की श्रेणी में आते थे अथवा नहीं। साथ ही आवंटन के तुरन्त बाद की खसरा गिरदावरियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जावे कि आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना की है अथवा नहीं। तदुपरान्त नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। इसके उपरांत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निर्णय दिनांक 19.12.2011 से प्रतिप्रेषित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा प्रकरण संख्या 35/2012 दर्ज किये जाने के पश्चात् निर्णय दिनांक 19.12.2011 में विवेचित पेरा संख्या 8, 9 एवं 10 के संबंध में तहसीलदार, मांगरोल से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मांगरोल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2014/4220 माह सितम्बर 2014 अनुसार पेरा सं 8 के क्रम मे अंकित किया गया है कि आवंटी बृजमोहन का उसके पिता तेजमल के हिस्से में 0.36 है0 में 1/3 यानि 0.12 है0 भूमि नोशनल शेयर बनता है। पेरा सं0 9 के क्रम में अंकित किया गया है कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2047 से 2052 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2057 से 2059 में कोई फसल दर्ज नहीं है। सम्वत 2060 में 1.28 है0 भूमि में फसल सरसों काश्त दर्ज है। सम्वत् 2061, 2063, 6064 में फसल सरसों दर्ज है। सम्वत् 2062 में कोई फसल दर्ज नहीं है एवं रिपोर्ट पटवारी अनुसार समीपवर्ती काश्तकारों के अनुसार उक्त फसल मोडूलाल (रेस्पो0 क्र. 1) द्वारा काश्त करना बताया गया है। पेरा सं0 10 के क्रम में वर्णित किया गया कि उक्त आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के फलस्वरूप खातेदारी नहीं दी गई।

9. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार मुताबिक तहसीलदार, मांगराल की रिपोर्ट, प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों अनुसार आवंटी को आवंटित आराजी पर कब्जाकाश्त नहीं होने तथा आवंटी के द्वारा कीमत राशि 2400/– रूपये भी जमा नहीं कराये जाने से आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना करना साबित नहीं होने से आवंटी का आवंटन ग्राम बालापुरा गत खसरा सं0 285 के कायम हाल खसरा संख्या 436/820 का आवंटन दिनांक 17.11. 1988 का आवंटन निरस्त कर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने का निर्णय दिनांक 03.02.2023 पारित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 19.12.2021 में विवेचित पेरा संख्या 8, 9, 10 के संबंध में तहसीलदार, मांगरोली से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण का समुचित परीक्षण कर निर्णय दिनांक 03.02.2023 पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 35/2012 बउनवान मोडूलाल बनाम जानकीलाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2023 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
सभागीय आयुक्त
कोटा

सभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा